प्रपत्र- **23.4**

<u>परियोजना का नाम</u> :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400 kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

<u>जिलाधिकारी द्वारा प्रद्दत प्रमाण पत्र</u>

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी से 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसनमिशन लाइन का निर्माण 220 केवी सबस्टेशन पिथौरागढ़ और लिलो की लाइन 400 केवी डी / सी धौलीगंगा-बरेली लाइन की 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी सबस्टेशन से उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली को मजबूत बनाने की योजना (एनआरएसएसएस-XXXVII) के निर्माण हेतु <u>58.4497 हेक्टर</u> वन भूमि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेद (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98 एफ़०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनो यथा – सड़क, नहर, ओ०एफ़०सी० केबिल व पाइप लाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनिय, 2006 के प्रावधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालिन समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculture Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

जिलाधिकारी
मुहर सहित
16/8/2018

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Pithoragarh

Dated:..16/8/2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter no.11-09/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the Forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 58.4497 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Power Grid Corporation of India Limited (User Agency) for construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LOOP IN LOOP OUT of 400kV D/C Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation in Pithoragarh District falls within jurisdiction of village **Mudkhadayat, Ghunseragaon, Bisabajed, Pali, Mitadigaon, Chowki, Majeda, Dangti** in Pithoragarh, Kanalichhina and Didihat tehsil.

Its further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 58.4497 hectare of Forest area proposed for diversion. A copy of Records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division level Committee(s), and the District level Committee are enclosed as Annexure ....I.... to Annexure ....II.. (P. no -1 to 29)
b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabhas have given their consent to it.
c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities.

Encls: As above.

District Magistrate
Pithoragarh
16/8/2019

Annexure: 14/1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR

District Pithoragarh (Uttarakhand)

Proceedings of the meeting of the district level committee constituted under Schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) Act(FRA),2006

A meeting of the District level committee of District Pithoragarh (UTTARAKHAND), constituted under FRA,2006 was held under chairmanship of Shri सी० रविशंकर........ Deputy Commissioner, Pithoragarh on Date 16/8/2018....at Pithoragarh in which the application claiming rights in Villages **Mudkhadayat, Ghunseragaon, Bisabajed, Pali, Mitadigaon, Chowki, Majeda, Dangti** of District Pithoragarh area measuring **58.4497** Hectares for construction of **220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LOOP IN LOOP OUT of 400kV D/C Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation** forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tehsil Pithoragarh, Kanalichhina, Didihat were discussed to consider the same for admission by district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion no objection/ claims were found to have been made and hence District level committee recommend the above case for diversion of forest land for the said purpose.

Place:- Pithoragarh

Dated:- 16/08/2018

Deputy Commissioner Cum-Chairman
District Level Committee
16/8/2018

Annexure: 14/2

It is further certified that Minutes of Meeting of development of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LOOP IN LOOP OUT of 400kV D/C Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation regarding FRA is as following: -

S.no.		Remarks
A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 58.4497 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of Forest Rights Committee(s), Sub Committee(s).	Yes, copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes & other Traditional Dwellers.
B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and Gram Sabha's has given consent to it.	Yes, copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes & other Traditional Dwellers. No Objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid Transmission line is attached.
(C)	The proposal does not involve recognized rights of Primitive tribes Groups and Pre-Agriculture Communities.	Yes, copy of records attached as there are no habitants belonging to Primitive tribes Groups and Pre-Agriculture Communities.

समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पिथौरागढ़
13/8/2018

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़
16/8/2018

प्रभागीय वनाधिकारी
14/8/2018

वन क्षेत्राधिकारी
पिथौरागढ़
13/8/2018

परियोजना का नाम :- **Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)**

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़ ।

उत्तराखण्ड राज्य में पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत 220 के०वी० पारेषण लाइन पिथौरागढ़ से जौलजीबी एवम 400 के0 वी0 धौलीगंगा – बरेली पारेषण लाईन का जौलजीबी सबस्टेशन मे लूप ईन लूप आउट के निर्माण कार्य के लिये आवेदित कुल वन भूमि **58.4497 हे०** (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 13.3613 हे० सिविल एवम सोयम वन भूमि 45.0884 हे० वन पंचायत भूमि) का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (प्रायोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (2006) के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (पिथौरागढ़) की दिनाँक .... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम (वन अधिकारो की मान्यता) , 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री सी0 रविशंकर** जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता मे की गयी । बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है ।

1. **श्री. सी0 रविशंकर** --------------- **अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़.**
2. **श्री. विनय कुमार भार्गव** --------------- **सदस्य प्रभागीय वनाधिकारी , पिथौरागढ़**
3. **श्री.** एस० के० शर्मा **सदस्य / सचिव जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ़**
4. **श्रीमति मंजूला देवी पत्नी श्री महेंद्र सिंह ग्राम सिर्दांग धारचूला** --------------- **सदस्य**
5. **श्री. अमर बहादुर चंद पुत्र श्री लक्ष्मी चंद ग्राम दुतीबगड** --------------- **सदस्य**
   जौलजीबी विकास खंड धारचूला
6. **श्री. कमलेश आर्या पुत्र श्री प्रेम राम ग्राम जैंती विकास खंड मूनस्यारी** --------------- **सदस्य**

सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक मे स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत 220 के०वी० पारेषण लाइन पिथौरागढ़ से जौलजीबी एवम 400 के0 वी0 धौलीगंगा – बरेली पारेषण लाईन का जौलजीबी सबस्टेशन मे लूप ईन लूप आउट के निर्माण कार्य के लिये आवेदित कुल वन भूमि **58.4497** हे० (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 13.3613 हे० सिविल एवम सोयम वन भूमि 45.0884 हे० वन पंचायत भूमि) का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (प्रायोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यो के समक्ष रखा गया । ग्राम सभा के अंतर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है । उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुषंसा की गई है ।

सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वनप्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम (वन अधिकारो की मान्यता 2006 एवं तत्सम्बंधि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस सम्बंध मे ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है ।अत: प्रकरण मे जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है ।

बैठक मे सर्वसम्मति से पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत 220 के०वी० पारेषण लाइन पिथौरागढ़ से जौलजीबी एवम 400 के0 वी0 धौलीगंगा – बरेली पारेषण लाईन का जौलजीबी सबस्टेशन मे लूप ईन लूप आउट के निर्माण कार्य के लिये आवेदित कुल वन भूमि **58.4497** हे० (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, 13.3613 हे० सिविल एवम सोयम वन भूमि 45.0884 हे० वन पंचायत भूमि) का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (प्रयोक्ता एजेंसी) को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।अतः प्रकरण मे जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है ।

15/01/2018

जिलाधिकारी अध्यक्ष पिथौरागढ़ 16/01/2018	प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ सदस्य	जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य
जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र सदस्य मन्जुला बुदियाल सदस्य जिला पंचायत (01 सिर्दांग) धारचूला पिथौरागढ	जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र सदस्य जि०पं० सदस्य मेतली उ०दा०-5	कमलेश राम आर्या जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र सदस्य जिला पंचायत - सरमोली मुनस्यारी, पिथौरागढ़

वन क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी (मूनाकोट)
कार्यालय समाज कल्याण , पिथौरागढ़ (मूनाकोट)

संख्या ज्ञाप/ दिनांक 06-06-018

सेवा में,
उपजिलाधिकारी
पिथौरागढ़

विषय :- वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पावर ग्रिड के पारेषण लाइन के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्पष्ट आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकरी, पिथौरागढ़ के पत्र संख्या ज्ञाप/ छब्बीस-वन/2017-18 दिनांक 25.05.2018 के संदर्भ मे वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पावर ग्रिड के उक्त पारेषण लाईन के निर्माण कार्य के लिए आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य नहीं है या किसी अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी द्वारा आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्व्सम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव किया गया उपरोक्त लाईन निर्माण हेतु **12.3323** हेक्टर वन भूमि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड को दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

A.D.O. 06/6/018
SOCIAL WELFARE, PITHORAGARH
विकास खण्ड - मूनाकोट (पिथौरागढ़)

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड - मूनाकोट (पिथौरागढ़)

(17)

Annexure: I.A

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पिथौरागढ़
उपखण्ड स्तरी समिति, मूनाकोट

आज दिनाँक ...02/06/2018... को उत्तराखण्ड राज्य में पिथौरागढ़ से जौलजीबी 220 के०वी० पारेषण लाईन परियोजना हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद का नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय	उप जिलाधिकारी	[signature]
2.	अनिल कुमार	उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट	[signature] उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट पिथौरागढ़ वन प्रभाग
3.	किशनराम	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	[signature] 06/06/2018 सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड - मूनाकोट (पिथौरागढ़)
4.	श्रीमती भागीरथी देवी, ग्राम-जीवी, पो०ओ०-सल्मोडा	बी०डी०सी० सदस्य	भागीरथी देवी
5.	श्रीमती पुष्पा देवी, ग्राम व पो० ओ० - मड़खडायत	बी०डी०सी० सदस्य	पुष्पा देवी
6.	श्रीमती प्रियंका देवी, ग्राम व पो० ओ० - बीसाबजेड़	बी०डी०सी० सदस्य	Priyanka

18

Annexure: II A

<u>परियोजना का नाम</u> - 220 के०वी० डबल सर्किट लाईन पिथौरागढ़ से जौलजीबी और 400 के०वी० लीलो लाईन जौलजीबी में।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, मूनाकोट उपखण्ड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत 220 के०वी० पारेषण लाइन पिथौरागढ़ से जौलजीबी के निर्माण कार्य के लिये आवेदित कुल वन भूमि **58.4497 हे० (शून्य हे०** आरक्षित वन भूमि, **13.3613** हे० सिविल एवम सोयम वन भूमि **45.0884 हे०** वन पंचायत भूमि) का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (प्रायोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (2006) के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील पिथौरागढ़) की दिनाँक 07/06/2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1 - श्री सन्तोष कुमार पाण्डेय — उपजिलाधिकारी.. अध्यक्ष

2 - श्री अनिल कुमार — उप प्रभागीय वनाधिकारी....डीडीहाट.................. सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट पिथौरागढ़ वन प्रभाग

3 - श्री [signature] — सहायक समाज कल्याण अधिकारी..मु.ना.को.ट......... सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड - मूनाकोट (पिथौरागढ़)

4 - श्रीमती भागीरथी देवी — बी० डी० सी० सदस्य....भागीरथी देवी.................... सदस्य

5 - श्रीमती पुष्पा देवी — बी० डी० सी० सदस्य....पुष्पा देवी.......................... सदस्य

6 - श्रीमती प्रियंका देवी — बी० डी० सी० सदस्य....Priyanka............................ सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया गया। 220 के०वी० डबल सर्किट लाईन पिथौरागढ़ से जौलजीबी और 400 के०वी० लीलो लाईन जौलजीबी परियोजना हेतु **58.4497** हे० वन भूमि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (प्रायोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकारी का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व-सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण मे उपखन्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक मे सर्वसम्मति से उपखंड पिथौरागढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत **220 के०वी० पारेषण लाइन पिथौरागढ़ से जौलजीबी एवम 400 के0 वी0 धौलीगंगा – बरेली पारेषण लाईन का जौलजीबी सबस्टेशन मे लूप ईन लूप आउट** परियोजना के निर्माण हेतु **58.4497** हे0 वन भूमि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (प्रायोक्ता एजेन्सी) को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उप जिलाधिकारी , अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पिथौरागढ़
जनपद- पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी , अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- पिथौरागढ़
जनपद- पिथौरागढ़

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, डीडीहाट
कार्यालय समाज कल्याण , डीडीहाट।

संख्या ज्ञाप/

दिनांक 07/06/2018

सेवा में,

उपजिलाधिकारी
डीडीहाट।

विषय :- वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पावर ग्रिड के पारेषण लाइन के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्पष्ट आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकरी, पिथौरागढ़ के पत्र संख्या ज्ञाप/ छब्बीस-वन/2017-18 दिनांक 25.05.2018 के संदर्भ मे वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पावर ग्रिड के उक्त पारेषण लाईन के निर्माण कार्य के लिए आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य नहीं है या किसी अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी द्वारा आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्व्सम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव किया गया उपरोक्त लाईन निर्माण हेतु **46.1174** हेक्टर वन भूमि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड को दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

A.D.O.
SOCIAL WELFARE, DIDIHAT
07/06/18
...अधिकारी
...डीडीहाट
जनपद - पिथौरागढ़

Annexure: I

कार्यालय उपजिलाधिकारी, डीडीहाट / कनालीछीना

उपखण्ड स्तरी समिति, कनालीछीना / डीडीहाट

आज दिनाँक ...03/06/2018... को उत्तराखण्ड राज्य में पिथौरागढ़ से जौलजीबी 220 के०वी० पारेषण लाईन परियोजना हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी श्री वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पद का नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री वैभव गुप्ता	उप जिलाधिकारी डीडीहाट	[signature]
2.	अनिल कुमार	उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट	[signature] उप प्रभागीय वनाधिकारी डीडीहाट पिथौरागढ़ वन प्रभाग
3.	दलीप कुमार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	[signature] [illegible] अधिकारी [illegible] 03/06/18 डीडीहाट जनपद – पिथौरागढ़
4.	श्री विवेकानंद, ग्राम व पो० ओ० – डागटी	बी०डी०सी० सदस्य	विवेकानंद जोशी (क्षेत्र पंचायत सदस्य डुंगरा)
5.	श्री महिमन सिह ग्राम बाराकोट पो० ओ० मझेडा	बी०डी०सी० सदस्य	[signature] [illegible] (क्षेत्र पंचायत सदस्य [illegible])
6.	श्री हरीश राम, ग्राम पाली पो० ओ० – डुगरी	बी०डी०सी० सदस्य	[signature] [illegible] पाली
7.	श्री मति शान्ती देवी, ग्राम व पो० गुड़ौली	बी०डी०सी० सदस्य	शान्तिदेवी क्षेत्र पंचायत सदस्य गुड़ौली
		बी०डी०सी० सदस्य	

Annexure: - II

परियोजना का नाम - 220 के०वी० डबल सर्किट लाईन पिथौरागढ़ से जौलजीबी और 400 के०वी० लीलो लाईन जौलजीबी में।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, डीडीहाट

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, कनालीछीना उपखण्ड कनालीछीना परिक्षेत्र के अन्तर्गत 220 के०वी० पारेषण लाइन पिथौरागढ़ से जौलजीबी के निर्माण कार्य के लिये आवेदित कुल वन भूमि **58.4497** **हे०** **(शून्य हे०** आरक्षित वन भूमि, **13.3613** हे० सिविल एवम सोयम वन भूमि **45.0884** **हे०** वन पंचायत भूमि) का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (प्रायोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (2006) के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील कनालीछीना) की दिनाँक 03/06/2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री श्री वैभव गुप्ता उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1 – श्री वैभव गुप्ता उपजिलाधिकारी.......... [signature] .... अध्यक्ष

2 - श्री अनिल कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी.......डीडीहाट [signature]........ सदस्य

3 - श्री दलीप कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी.......... [signature] .... सदस्य

4 - श्री विवेकानंद, ग्राम व पो० ओ० – डागटी, बी० डी० सी० सदस्य.......[signature]....... सदस्य

5 - श्री महिमन सिह ग्राम बाराकोट पो० ओ० मझेडा, बी० डी० सी० सदस्य.......[signature]....... सदस्य

6 - श्री हरीश राम, ग्राम पाली पो० ओ० – डुगरी, बी० डी० सी० सदस्य.......[signature]....... सदस्य

7- श्रीमति शान्ती देवी, ग्राम व पो० गुड़ौली बी० डी० सी० सदस्य.......[signature]....... सदस्य

8- श्री बी० डी० सी० सदस्य... सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। 220 के०वी० डबल सर्किट लाईन पिथौरागढ़ से जौलजीबी और 400 के०वी० लीलो लाईन जौलजीबी परियोजना हेतु **58.4497** हे० वन भूमि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (प्रायोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकारी का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्व-सम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धि नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण मे उपखन्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक मे सर्वसम्मति से उपखंड डीडीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत **220 के०वी० पारेषण लाइन पिथौरागढ़ से जौलजीबी एवम 400 के0 वी0 धौलीगंगा – बरेली पारेषण लाईन का जौलजीबी सबस्टेशन मे लूप ईन लूप आउट** परियोजना के निर्माण हेतु **58.4497** हे0 वन भूमि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (प्रायोक्ता एजेन्सी) को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उप जिलाधिकारी , अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- डीडीहाट
जनपद- पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी , अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- डीडीहाट
जनपद- पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400 kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनाँक : 07/03/2018

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत :- मढ़खड़ायत तहसील:- पिथौरागढ़ जिला:- पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड राज्य में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी से 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसनमिशन लाइन का निर्माण 220 केवी सबस्टेशन पिथौरागढ़ और लिलो की लाइन 400 केवी डी / सी धौलीगंगा-बरेली लाइन की 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी सबस्टेशन से उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली को मजबूत बनाने की योजना (एनआरएसएसएस-XXXVII) के निर्माण हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड द्वारा ग्राम मढ़खड़ायत में ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की गई।

उक्त पारेषण लाईन के निर्माण कार्य के लिए आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य नहीं है या किसी अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी द्वारा आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्व्सम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव किया गया उपरोक्त लाईन निर्माण हेतु 5.572 हेक्टर वन भूमि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड को दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

7/3/018

ह0/-
ग्राम सरपंच/प्रधान
मुहर सहित

पुष्पा देवी

सदस्य क्षेत्र पंचायत
मढ खड़ायत
वि0 ख0 मूनाकोट,पिथौरागढ

3/4/2018
ग्रा. ह0/- वि. अ. मढ़खड़ायत
क्षेत्र ग्राम. सचिव
मुहर सहित
मूनाकोट पिथौरागढ़

प्रारुप–30.4

परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400/kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनांक 07/03/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मढ़खड़ायत

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	श्याम सिंह खड़ायत	[illegible]
2)	पुष्कर सिंह मढ़खड़ायत	[illegible]
3-	प्रेम सिंह मेहता	प्रेम सिंह मेहता
4-	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
5-	श्रीमती बिन्दु देवी	बिन्दु
6-	श्रीमती करी देवी	करी देवी
7-	श्रीमती मालती देवी	मालती देवी
8-	श्रीमती लक्ष्मी देवी	

पुष्पा देवी
सदस्य क्षेत्र पंचायत
मढ़ खड़ायत
वि0 ख0 मूनाकोट,पिथौरागढ़

ह0/–
ग्राम प्रधान 7/3/018
उपप्रधान ग्राम पंचायत मढ़खड़ायत
गढ़री-भोबो
वि0 ख0 मूनाकोट पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400 kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनाँक : 8/3/2018

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत :- धुंसेरागाँव तहसील:- पिथौरागढ़ जिला:- पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड राज्य में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी से 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसनमिशन लाइन का निर्माण 220 केवी सबस्टेशन पिथौरागढ़ और लिलो की लाइन 400 केवी डी / सी धौलीगंगा-बरेली लाइन की 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी सबस्टेशन से उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली को मजबूत बनाने की योजना (एनआरएसएसएस-XXXVII) के निर्माण हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड द्वारा ग्राम धुंसेरागाँव में ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की गई।

उक्त पारेषण लाईन के निर्माण कार्य के लिए आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य नहीं है या किसी अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी द्वारा आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव किया गया उपरोक्त लाईन निर्माण हेतु 4.816 हेक्टर वन भूमि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड को दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-
ग्राम सरपंच/प्रधान
मुहर सहित

(मुहर: ग्राम पंचायत धुंसेरागाँव, प्रधान, वि0ख0 मूनाकोट पिथौरागढ़ — 8/3/18)

(मुहर: क्षेत्र पंचायत सदस्य धुंसेरा गाँव, क्षे0 मूनाकोट पिथौरागढ़ — हस्ताक्षर)

ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित 2-4-18
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ....
वि0ख0-मूनाकोट, पिथौरागढ़

प्रारुप–30.4

<u>परियोजना का नाम</u> :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400/kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनांक 8/3/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत धुंसेरागाँव

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	प्रकाश भट्ट	Prakash
2)	वासुदेव भट्ट	वासुदेव भट्ट
3)	जोगाराम	जोगाराम
4)	देवी दत्त भट्ट	देवी दत्त भट्ट
5)	आनन्द भट्ट	आनन्द भट्ट
(6)	श्रीमती राधा देवी	राधा देवी
(7)	श्रीमती गोदावरी देवी	गोदावरी देवी
(8)	श्रीमती काफुली देवी	काफुली

ह0 / –

ग्राम प्रधान

भागीरथी देवी

जोगाराम
प्रधान
8/3/18

परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400 kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनाँक : 26/3/2018

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत :- बीसाबजेड़ तहसील:- पिथौरागढ़ जिला:- पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड राज्य में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी से 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसनमिशन लाइन का निर्माण 220 केवी सबस्टेशन पिथौरागढ़ और लिलो की लाइन 400 केवी डी / सी धौलीगंगा-बरेली लाइन की 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी सबस्टेशन से उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली को मजबूत बनाने की योजना (एनआरएसएसएस-XXXVII) के निर्माण हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड द्वारा ग्राम बीसाबजेड़ में ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की गई।

उक्त पारेषण लाईन के निर्माण कार्य के लिए आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य नहीं है या किसी अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी द्वारा आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव किया गया उपरोक्त लाईन निर्माण हेतु 4.05 हेक्टर वन भूमि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड को दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/- 26/3/2018
ग्राम सरपंच/प्रधान
मुहर सहित

प्रधान
ग्राम पंचायत बीसाबजेड़, पिथौरागढ़

सदस्य
क्षेत्र पंचायत बीसाबजेड़
क्षेत्र-मूनाकोट, पिथौरागढ़

ह0/- 26-3-2018
ग्राम सचिव
मुहर सहित
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र बीसाबजेड़
वि0ख0- मूनाकोट, पिथौरागढ़

प्रारुप–30.4

परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400/kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनांक 26/3/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भीसा बजेड़

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	हर्ष सिंह बोरा	[illegible]
2.	दिपक सिंह सौन	Deepak
3.	त्रिलोक सिंह सौन	त्रिलोक सिंह
4.	तेज सिंह	[illegible]
5.	शंकर सिंह	[illegible]
6.	कुंवर सिंह	[illegible]
7	दौलत सिंह	[illegible]
8	सरुली देवी	सरुली देवी
9	श्रीमती शान्ति देवी	शान्ति देवी
10	श्रीमती कलावती देवी	कलावती
11	श्रीमती मंजू देवी	

ह० [signature] 26/3/18
ग्राम प्रधान

सचिव
क्षेत्र पंचायत भीसाबजेड़
वि.ख. मुनाकोट, पिथौरागढ़

प्रारुप–30.4

परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400/kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनांक 16/3/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डुंगरा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	पुष्कर राम	[signature]
2)	कमल कुमार	कमल
3)	होशियार सिंह	[signature]
4)	मनोज सिंह	Manoj
5	कमला देवी	कमला देवी
6	नाउली देवी	नाउली देवी
7	बिषना देवी	बिषना देवी
8	सीता देवी	सीता

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत डुंगरा
वि०ख०- कनालीछीना (पिथौरागढ़)
ह0/–

ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400 kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनाँक : 06/03/2018

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत :- डाँगटी तहसील:- डीडीहाट जिला:- पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड राज्य में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी से 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसनमिशन लाइन का निर्माण 220 केवी सबस्टेशन पिथौरागढ़ और लिलो की लाइन 400 केवी डी / सी धौलीगंगा-बरेली लाइन की 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी सबस्टेशन से उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली को मजबूत बनाने की योजना (एनआरएसएसएस-XXXVII) के निर्माण हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड द्वारा ग्राम डाँगटी में ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की गई।

उक्त पारेषण लाईन के निर्माण कार्य के लिए आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य नहीं है या किसी अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी द्वारा आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव किया गया उपरोक्त लाईन निर्माण हेतु 2.0 हेक्टर वन भूमि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड को दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

विमला पोखरिया
प्रधान
ग्राम पंचायत- डाँगटी
ह0/- वि0ख0- कनालीछीना (पिथौरागढ़)
ग्राम सरपंच/प्रधान 06-03-2018
मुहर सहित

विवेकानन्द जोशी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
डुंगरा

ह0/-
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम सचिव
क्षेत्र
मुहर सहित
विकास खण्ड
पिथौरागढ़

प्रारुप–30.4

परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400/kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनांक 6/3/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत डॉंगटी तहसील => डीडीहाट

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	नारायण सिंह	[illegible]
2)	लक्ष्मण सिंह	[illegible]
3)	मनोज जोशी	[illegible]
4)	महेश	[illegible]
5)	विमला पंत	[illegible]
(6)	श्रीमती मालिनी देवी	जानकी देवी
(7)	श्रीमती [illegible] देवी	[illegible] देवी
(8)	श्रीमती कमला देवी	कमला देवी
(9)	ममता देवी	ममता देवी

विवेकानन्द जोशी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
डॉंगटी

विमला भरकोटी
प्रधान
ग्राम पंचायत- डॉंगटी
वि०ख०- कनालीछीना (पिथौरागढ़)
ह0/-
ग्राम प्रधान
6-03-2018

<u>परियोजना का नाम</u> :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400 kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनाँक : 06/03/2018

<u>वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

ग्राम पंचायत :- मजेड़ा (बाराकोट) तहसील:- डीडीहाट जिला:- पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड राज्य में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी से 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसनमिशन लाइन का निर्माण 220 केवी सबस्टेशन पिथौरागढ़ और लिलो की लाइन 400 केवी डी / सी धौलीगंगा-बरेली लाइन की 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी सबस्टेशन से उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली को मजबूत बनाने की योजना (एनआरएसएसएस-XXXVII) के निर्माण हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड द्वारा ग्राम मजेड़ा में ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की गई।

उक्त पारेषण लाईन के निर्माण कार्य के लिए आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य नहीं है या किसी अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी द्वारा आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव किया गया उपरोक्त लाईन निर्माण हेतु 8.5704 हेक्टर वन भूमि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड को दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/-
ग्राम सरपंच/प्रधान
मुहर सहित

प्रधान 06/03/2018
ग्राम पंचायत बाराकोट
कनालीछीना (पिथौरागढ़)

सदस्य
क्षेत्र पंचायत बाराकोट
पिथौरागढ़

ग्राम- पंचायत अधिकारी
ग्राम- सचिव
मुहर सहित

प्रारुप–30.4

परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400/kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनांक 06/03/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मजेड़ा (बाराकोट)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	ईश्वर सिंह	ईश्वर सिंह
2)	सुंदर सिंह	सुन्दर सिंह
3)	गम्भीर सिंह	गम्भीर सिंह
4)	कमान सिंह	Kaman Singh
5)	मंगल सिंह	Mangal Singh
(6)	श्रीमती कुन्ती देवी	कुन्ती देवी
(7)	श्रीमती लक्ष्मी देवी	लक्ष्मी देवी
(8)	श्रीमती मालती देवी	मालती देवी
(9)	श्रीमती धाना देवी	धाना देवी

(अहिमन्त कन्याल)
क्षेत्र पंचायत सदस्य
बाराकोट

क्षेत्र पंचायत बाराकोट
कनालीछीना
पिथौरागढ़

ह0 [illegible] 06/03/2018
प्रधान
ग्राम पंचायत बाराकोट
ग्राम प्रधान
कनालीछीना (पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400 kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनाँक : 8/3/2018

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत :- (ग्रामतला, स्यल्त) → पाली   तहसील:- कनालीछीना   जिला:- पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड राज्य में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी से 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसनमिशन लाइन का निर्माण 220 केवी सबस्टेशन पिथौरागढ़ और लिलो की लाइन 400 केवी डी / सी धौलीगंगा-बरेली लाइन की 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी सबस्टेशन से उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली को मजबूत बनाने की योजना (एनआरएसएसएस-XXXVII) के निर्माण हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड द्वारा ग्राम ग्रामतला, स्यल्त में ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की गई।

उक्त पारेषण लाईन के निर्माण कार्य के लिए आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य नहीं है या किसी अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी द्वारा आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव किया गया उपरोक्त लाईन निर्माण हेतु 12.86 हेक्टर वन भूमि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड को दिये जाने हेतु कोई आपति नहीं है।

प्रधान 8/03/2018
बलवन्त कुमार
ग्राम पंचायत- पाली
ह0/- वि0ख0- कनालीछीना (पिथौरागढ़)
ग्राम सरपंच/प्रधान
मुहर सहित

क्षेत्र पंचायत सदस्य
पाली

ह0/-
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्राम सचिव
वि0ख0 मुहर सहित
पिथौरागढ़

प्रारुप–30.4

<u>परियोजना का नाम</u> :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400/kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनांक 8/3/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पाली (रुनतड़ा स्यांत)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	नन्दन सिंह	नन्दन सिंह
2	बलवन्त कुमार	[signature]
3	भूपेन्द्र सिंह	भूपेन्द्र सिंह
4	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
5	माधो सिंह	माधो सिंह
6	पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
7	श्रीमती हेमा देवी	हेमा देवी
8	श्रीमती कमला	कमला
9	श्रीमती मीना देवी	मीना
10	श्रीमती चन्द्रा	चन्द्रा देवी

[signature]
क्षेत्र पंचायत सदस्य
पाली

[signature] 08/03/2018
प्रधान
बलवन्त कुमार
ग्राम पंचायत- पाली
वि०ख०- कनालीछीना (पिथौरागढ़)
ह0/-
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400 kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनाँक : 8/3/2018

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत :- मिताड़ीगाँव तहसील:- कनालीछीना जिला:- पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड राज्य में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी से 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसनमिशन लाइन का निर्माण 220 केवी सबस्टेशन पिथौरागढ़ और लिलो की लाइन 400 केवी डी / सी धौलीगंगा-बरेली लाइन की 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी सबस्टेशन से उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली को मजबूत बनाने की योजना (एनआरएसएसएस-XXXVII) के निर्माण हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड द्वारा ग्राम मिताड़ीगाँव में ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की गई।

उक्त पारेषण लाईन के निर्माण कार्य के लिए आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य नहीं है या किसी अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी द्वारा आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव किया गया उपरोक्त लाईन निर्माण हेतु 3.22 हेक्टर वन भूमि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड को दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/- 8/3/2018
ग्राम सरपंच/प्रधान
मुहर सहित
प्रधान
ग्राम पंचायत - मिताड़ीगाँव
विकास खण्ड - कनालीछीना (पिथौरागढ़)

ह0/-
ग्राम पंचायत अधिकारी
मुहर सहित
क्षेत्र पंचायत विकास अधिकारी
वि० ख० कनालीछीना
पिथौरागढ़

प्रारुप–30.4

परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400/kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनांक 8/3/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सिताड़ीगाँव

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	किशोर पंत	किशोर पंत
2)	दिगम्बर पंत	दिगम्बर पंत
3)	दीपक पाँडे	दीपक पाँडे
4)	गोपाल कृष्ण	गोपाल कृष्ण
5,	श्रीमती लीला पन्त	लीला पन्त
6	" रूपा पन्त	रूपा पन्त
7,	" मनीषा पाण्डे	मनीषा
8	" पुष्पा पन्त	पुष्पा पन्त
9	" सुशीला तिवारी	सुशीला तिवारी

[illegible] 8/3/2018 ह0/–

ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत - सिताड़ीगाँव
विकास खण्ड - कनालीछीना (पिथौरागढ़)

<u>परियोजना का नाम</u> :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400 kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनाँक : 9/3/2018

<u>वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

ग्राम पंचायत :- चौकी तहसील:- कनालीछीना जिला:- पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड राज्य में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी से 220 केवी डबल सर्किट ट्रांसनमिशन लाइन का निर्माण 220 केवी सबस्टेशन पिथौरागढ़ और लिलो की लाइन 400 केवी डी / सी धौलीगंगा-बरेली लाइन की 400/220 केवी जीआईएस जौलजीबी सबस्टेशन से उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली को मजबूत बनाने की योजना (एनआरएसएसएस-XXXVII) के निर्माण हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड द्वारा ग्राम चौकी में ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित की गई।

उक्त पारेषण लाईन के निर्माण कार्य के लिए आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि में **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वन भूमि में किसी **अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी** का कब्जा/ आवास/ कृषि कार्य नहीं है या किसी अनुसूचित जनजाति अथवा किसी आदिवासी द्वारा आजिविका के लिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है । इसके अतिरिक्त परियोजना निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव किया गया उपरोक्त लाईन निर्माण हेतु 4.0 हेक्टर वन भूमि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन औफ़ इन्डिया लिमिटेड को दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है।

9-3-18

प्रधान
ग्राम पंचायत चौकी
वि0ख0 कनालीछीना (पिथौरागढ़)

ह0/-
ग्राम सरपंच/प्रधान
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र– चौकी
विकासखण्ड– कनालीछीना

ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

प्रारुप—30.4

परियोजना का नाम :– Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400/kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSS-XXXVII)

दिनांक 9/3/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चौकी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1)	शंकर राम	शंकर.
2)	राम लाल	रामलाल
3)	पवन सिंह	पवन सिंह
4)	बहादुर सिंह	बहादुर सिंह
5)	कपिल राम	कपिल
6	श्रीमती तारा देवी	तारा देवी
7	श्रीमती कूसी देवी	कूसी देवी
8	श्रीमती कला देवी	कला देवी.
9	श्रीमती बबीता देवी	बबीता

[illegible]

ह0/—
ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत चौकी
वि0ख0 कनालीछीना (पिथौरागढ़)